Title: Need to ensure effective implementation of Centrally Sponsored Scheme providing foodgrains to the people living below th poverty line in Barabanki district, Uttar Pradesh.

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े और निहायत गरीब जिलों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत र्वा 2004-05 के लिए अरबों रुपये का खाद्यान्न उपलब्ध कराया था जिसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवार के लोग भूखे न रहे, पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सरकारी धन का सदुपयोग नहीं हुआ है। भारत सरकार की मंशा के विपरीत कुछ जिलों में इस योजना के दिशा-निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया गया है। जिसका परिणाम हुआ कि उक्त जिलों में यह योजना पूरी तरह असफल हो गयी। इसका परिणाम हुआ कि ग्रामीण बेरोजगार, नंगे, भूखे और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों लोग इस लोकप्रिय योजना के लाभ से वंचित हो गये हैं।

सभापति महोदय : यादव जी, नियम 377 का रूल यह है कि आप जो टैक्स्ट देते हैं, उसके बाद जो टैक्स्ट एप्रूव होता है, वही पढ़ना होता है। अगर उसमें फर्क हो तो वह रिकार्ड में नहीं जाता है। आपको टैक्स्ट एप्रूव होने के बाद में जो कापी मिली है, कृपा करके उसे ही पढ़िये।

श्री मित्रसेन यादव : सभापति महोदय, मैं वही पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप आगे पढ़िये।

श्री मित्रसेन यादव : उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इस योजना को लागू भी किया गया है, वहां पर योजना दिशा निर्देशों के अनुरुप लागू नहीं की गयी है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 27 करोड़ रुपये के खाद्यान्न में से मात्र दो करोड़ रुपये के खाद्यान्न का ही उपयोग किया। यहां भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 27 करोड़ रुपये में से 25 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। यदि इसका उपयोग सही ढंग से किया गया होता तो निश्चित रूप से लाखों गरीब लोगों को रोजगार मिला होता, पर ऐसा नहीं हो पाया।

अतः आपके माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि वह उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाये।